

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 541/07

संस्थापन दिनांक:-12/08/04

फाईलिंग नं. 233504000022004

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

1. श्रावण पिता दुजु यादव, उम्र 70 वर्ष,
2. करण पिता श्रावण यादव, उम्र 45 वर्ष,  
दोनों निवासी माहोली,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**-: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 23.09.2016 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 353, 506, 427 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 14.01.2004 को ग्राम माहोली स्थित घाने में प्रार्थी संजय पेंडोर कार्यपालन यंत्री विद्युत मंडल तथा उनके सहयोगी कर्मी ए.जे. खान, आर.के. दुबे तथा इंदरसिंह राठौर जो कि विद्युत मंडल के कार्य विद्युत चैकिंग का निष्पादन कर रहे थे को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित की जिससे उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ एवं प्रार्थी संजय तथा उनके सहकर्मी ए.जे. खान, आर.के. चतुर्वेदी, इंदर राठौर को विद्युत मंडल का कार्य विद्युत चैकिंग निष्पादन करने में ईंट व डंडे लेकर जान से मारने की धमकी देकर वाहन के कांच तोड़कर आपराधिक बल व हमला का प्रयोग कर भयोपरांत कारित किया एवं प्रार्थी संजय तथा सहकर्मी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा विद्युत मंडल के वाहन जीप क. एमपी-48-डी-0011 का कांच तोड़कर करीब 800/- रुपये की रिष्टी कारित कर क्षति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी संजय पेंडोर दिनांक 14.01.2004 को बैतूल में कार्यपालन अभियंता (सतर्कता) म.प्र.रा.वि.मं. के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह अपनी टीप के एफजे खान, आर.के. चतुर्वेदी, इंदरसिंह राठौर, अजाबराव पंडाग्रे के साथ विद्युत विभाग के अनुबंधित वाहन क. एमपी-48-डी-0011 से विद्युत संयोजनों की आकस्मिक चैकिंग करने के लिए ग्राम माहोली में दोपहर लगभग 03:30 बजे अभियुक्त श्रावण का घाना का

संयोजन चैक कर रहे थे। तभी अन्य ग्राम के लोग एकत्रित हो गये और चिल्ला-चिल्ला कर गाली देने लगे और कहा कि मादरचोद यहां से चले जाओ, चैक नहीं करने देंगे, गाड़ी सहित आग लगा देंगे। वे लोग हाथ में डंडे और ईंट लेकर धमकी दे रहे थे तथा वाहन के कांच फोड़ दिया और चैकिंग करने वाली टीम को मारने दौड़े और कहा कि यहां से चले जाओ नहीं तो तुम लोगों को गाड़ी सहित जिंदा चला देंगे। फरियादी द्वारा दी गयी लिखित शिकायत के आधार पर थाना आमला में अपराध क्र. 23/04 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। विद्युत विभाग के वाहन क्र. एमपी-48-डी-0011 का नुकसानी पंचनामा बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी संजय पेंडोर कार्यपालन यंत्री विद्युत मंडल तथा उनके सहयोगी कर्मी ए.जे. खान, आर.के. दुबे तथा इंदरसिंह राठौर जो कि विद्युत मंडल के कार्य विद्युत चैकिंग का निष्पादन कर रहे थे को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित की जिससे उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ ?

2. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी संजय तथा उनके सहकर्मी ए.जे. खान, आर.के. चतुर्वेदी, इंदर राठौर को विद्युत मंडल का कार्य विद्युत चैकिंग निष्पादन करने में ईंट व डंडे लेकर जान से मारने की धमकी देकर वाहन के कांच तोड़कर आपराधिक बल व हमला का प्रयोग कर भयोपरांत कारित किया ?

3. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी संजय तथा सहकर्मी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

4. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर विद्युत मंडल के वाहन जीप क्र. एमपी-48-डी-0011 का कांच

तोड़कर करीब 800/- रुपये की रिष्टी कारित कर क्षति कारित की ?

5. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

## ॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

### विचारणीय प्रश्न क. 01, 03 एवं 04 का निराकरण

5 संजय पेंडोरे (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वे घटना दिनांक को अभियुक्त श्रावण का घाना का संयोजन चेक कर रहे थे तभी वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन्हें मादरचोद की गाली देकर कहा कि कनेक्शन चेक मत करो यहां से चले जाओ। एफ.जे. खान (अ.सा.-3) एवं आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.-13) ने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया है कि वे घटना दिनांक को अभियुक्त श्रावण के घाने की चैकिंग कर रहे थे उसने उन्हें चैकिंग नहीं करने दिया औरवही पर गांव के लगभग 15-17 लोग इकट्ठे हो गये थे जो कि गाली गलौच कर रहे थे। साक्षी एफ.जे. खान (अ.सा.-3) ने यह भी प्रकट किया कि अभियुक्त श्रावण भी उन लोगों में शामिल था। इंद्रसिंह (अ.सा.-12) ने यह प्रकट किया कि विद्युत विभाग के साहब लोगों ने अभियुक्त श्रावण से कनेक्शन की रसीद मांगी थी तो उतने में ही बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गयी और गाली गलौच करने लगी।

6 साक्षीगण संजय पेंडोरे (अ.सा.-1), एफ.जे. खान (अ.सा.-3), इंद्रसिंह (अ.सा.-12) एवं आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.-13) ने अपने न्यायालयीन कथनों में मौके पर इकट्ठा हुई भीड़ के द्वारा गाली गलौच किया जाना प्रकट किया है। यद्यपि साक्षी एफ.जे. खान (अ.सा.-3) ने यह बताया है कि भीड़ ने गाली गलौच की थी और उसी भीड़ में श्रावण भी था तथा साक्षी संजय पेंडोरे ने यह प्रकट किया है कि उपस्थित भीड़ में उन्हें मादरचोद कहकर गाली गलौच की थी परंतु उक्त साक्षीगण के कथनों से यह स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त श्रावण एवं करण ने उन लोगों को गाली गलौच की हो। साथ ही किन शब्दों का उच्चारण किया गया। यह भी इन साक्षियों ने अपने कथनों में प्रकट नहीं किया है। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 संजय पेंडोरे (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन कथन में प्रकट किया है कि अभियुक्तगण हाथ में डंडा लेकर यह कह रहे थे कि यहां से चले जाओ

नहीं तो जिंदा जला देंगे। एफ.जे. खान (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि मौके पर उपस्थित गांव के लगभग 15-17 लोग जिनमें अभियुक्त श्रावण भी था हाथ में डंडा लिये हुए थे और कह रहे थे कि चैकिंग करने नहीं देंगे यहां से चले जाओ नहीं तो गाड़ी जला देंगे। आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.-13) ने यह प्रकट किया है कि मौके पर उपस्थित भीड़ यह कह रही थी कि यहां से चले जाओ नहीं तो आग लगा देंगे। उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त श्रावण और करण ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी हो। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में धारा 506 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

8 संजय पेंडोरे (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि मौके पर जो भीड़ इकट्ठा हो गयी थी उसने उनकी अनुबंधित गाड़ी क्र. एमपी-48-डी-0011 के कांच फोड़ दिये थे जिससे करीब एक हजार रुपये का नुकसान हुआ था तथा नुकसानी पंचनामा (प्रदर्श प्री-2) उसके समक्ष तैयार किया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। एफ.जे. खान (अ.सा.-3) ने यह प्रकट किया है कि मौके पर उपस्थित भीड़ ने गाड़ी पर पथराव किया था जिससे गाड़ी का कांच टूट गया था। राजेश (अ.सा.-10) जो कि घटना के समय विद्युत विभाग की अनुबंधित गाड़ी का ड्रायवर था उसने यह प्रकट किया है कि जैसे ही उसने गाड़ी घुमाई थी तभी पीछे से लोग गाड़ी पर पत्थर फेंक रहे थे जिससे गाड़ी की खिड़की का कांच टूट गया था और लगभग 700/- रुपये का नुकसान हुआ था। अजाबराव (अ.सा.-11) ने यह प्रकट किया है कि मौके पर उपस्थित भीड़ ने गाड़ी का कांच फोड़ा था वह नहीं देख पाया था कि कांच किसने फोड़ा था। आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.-13) ने यह प्रकट किया है कि उपस्थित भीड़ जिसमें कि अभियुक्त श्रावण एवं करण भी थे, ने गाड़ी की कांच फोड़ दिये थे। कांच फूटने से लगभग एक हजार रुपये का नुकसान हुआ था। नुकसानी पंचनामा (प्रदर्श प्री-2) है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9 साक्षी संजय पेंडोरे (अ.सा.-1), राजेश (अ.सा.-10), अजाबराव (अ.सा.-11), आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.-13) के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि मौके पर उपस्थित भीड़ ने पथराव कर गाड़ी के कांच फोड़ दिये। यद्यपि साक्षी आर.के. चतुर्वेदी ने यह प्रकट किया है कि उपस्थित भीड़ में अभियुक्त श्रावण और करण भी थे परंतु उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 2 में बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि उपस्थित भीड़ में से कौन पत्थर मार रहा था यह बताना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त श्रावण एवं करण ने ही पत्थर मारकर गाड़ी के कांच फोड़े और विद्युत विभाग के अनुबंधित गाड़ी को नुकसान कारित किया। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 427 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

### विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

10 संजय पेंडोरे (अ.सा.-1) ने न्यायालयीन कथन में यह प्रकट किया है कि वह घटना दिनांक 14.01.2004 को म.प्र.वि.मं. बैतूल में कार्य पालन यंत्री सतर्कता के पद पर कार्यरत था तथा उक्त दिनांक को अपने सहयोगी एवं स्टाफ के साथ आकस्मिक विद्युत चैकिंग के लिए ग्राम माहौली गये थे वहां पर अभियुक्त श्रावण के घाने का संयोजन चैक कर रहे थे तभी मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी और सभी यह कहने लगे कि कनेक्शन चैक मत करो और यहां से चले जाओ। एफ.जे. खान (अ.सा.-3) ने दिनांक 14.01.2004 को म.प्र.वि.मं. बैतूल में कार्यपालन यंत्री टी.बी.पी.एस. सतर्कता के पद पर पदस्थ रहते हुए विद्युत संयोजन की आकस्मिक चैकिंग हेतु स्टाफ के साथ अनुबंधित वाहन से ग्राम माहौली जाना प्रकट किया है। उक्त साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि अभियुक्त श्रावण ने उन्हें घाने की चैकिंग नहीं करने दिया और वहां पर गांव के 15-17 लोग इकट्ठा हो गये और सभी हाथ में डंडा लिये ये कह रहे थे कि हम चैकिंग नहीं करने देंगे, गाड़ी जला देंगे।

11 अजाबराव (अ.सा.-11) ने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में घटना दिनांक 14.01.2004 को एम.पी.ई.बी. में सहायक लाईन मेन के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को विद्युत चैकिंग हेतु विद्युत विभाग के साहब लोगों के साथ ग्राम माहौली जाना प्रकट किया है। उक्त साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि घटना दिनांक को सभी लोग अभियुक्त श्रावण एवं करण के घाने में पहुंचे थे परंतु श्रावण एवं करण ने चैकिंग नहीं करने दिया था और गांव वालों को इकट्ठा करके माहौल बना दिया था। आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.-13) ने दिनांक 14.01.2004 को म. प्र.वि.मं. में टी.बी.पी.एस. के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपने सह अधिकारी एवं स्टाफ के साथ विद्युत चैकिंग हेतु ग्राम माहौली जाना प्रकट किया है। उक्त साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि जब सभी लोग ग्राम माहौली पहुंचे तो वहां पर उपस्थित लोगों ने बताया कि यह अभियुक्त श्रावण का घाना है और जैसे ही चैक करने के लिए आगे बढ़े तो मौके पर उपस्थित भीड़ यह कहने लगी की यहां से चले जाओ नहीं तो आग लगा देंगे।

12 संजय पेंडोरे (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 4 में यह सही होना बताया है कि मौके पर उपस्थित लोगों में से किसी ने यह बताया था कि घाना अभियुक्त श्रावण का है इसलिए श्रावण के विरुद्ध उनके द्वारा रिपोर्ट लेख करायी गयी थी। साथ ही पैरा क. 5 में साक्षी ने यह सही होना बताया है कि उसने पुलिस को ऐसा नहीं बताया था कि अभियुक्त श्रावण एवं करण ने उन्हें शासकीय कार्य नहीं करने दिया और बाधा उत्पन्न किये। पैरा क. 7 में उक्त साक्षी ने यह भी सही होना बताया कि अभियुक्त श्रावण और करण से कोई व्यक्तिगत बातचीत नहीं हुई थी। एफ.जे. खान (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 8 में यह बताया है कि उसने मौके पर अभियुक्त श्रावण का घाना देखा था परंतु श्रावण के पास जाकर विद्युत संबंधी कोई दस्तावेज नहीं देखे थे। पैरा क. 7 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसे अभियुक्त श्रावण का नाम इसलिए मालूम है

कि अभियुक्त श्रावण ने उसे अपना नाम बताया था। पैरा क. 6 में बचाव अधिवक्ता द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह कहा है कि वह घाना चैक करने गया था तब अभियुक्त श्रावण ने घाना चैक करने नहीं दिया और उनके काम में रूकावट डाली। साक्षी अजाबराव (अ.सा.-11) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 7 में यह सही होना बताया है कि अभियुक्तगण ने बिजली चोरी की जांच करने से नहीं रोका था। इसी पैरा में साक्षी ने यह भी सही होना बताया है कि वह तथा उसकी टीम के सदस्य अभियुक्तगण को नहीं पहचानते थे। पैरा क. 8 में साक्षी ने यह भी सही होना बताया है कि अभियुक्तगण द्वारा बिजली चोरी करने के संबंध में उन्हें कोई भी सूचना नहीं मिली थी।

13 रामदास (अ.सा.-4), मंगल (अ.सा.-5), रमेश (अ.सा.-6), टीकाराम (अ.सा.-7), बलराम (अ.सा.-8) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षियों से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। साक्षी इंद्रसिंह (अ.सा.-12) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त श्रावण और उसके लड़के करण ने कुछ नहीं किया था, मौके पर उपस्थित भीड़ ने किया था। राजेश (अ.सा.-10) से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने पैरा क. 2 में यह गलत होना बताया कि अभियुक्त श्रावण एवं उसके साथ अन्य दो तीन लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को डराया धमकाया था और गाड़ी के उपर ईंट फेंककर मार दिया था।

14 दिनेश द्विवेदी (अ.सा.-9) ने यह प्रकट किया है कि वह दिनांक 14.01.2004 को पुलिस थाना आमला में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी संजय पेंडोरे के द्वारा थाने में उपस्थित होकर अभियुक्त श्रावण के विरुद्ध लिखित आवेदन (प्रदर्श प्री-10) प्रस्तुत किये जाने पर अपराध क. 23/04 पर अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-11) लेख की गयी जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15 संतोष सिंह (अ.सा.-2) ने दिनांक 14.01.2004 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क. 23/04 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर फरियादी संजय पेंडोरे (अ.सा.-1) की निशादेही पर नक्शा मौका (प्रदर्श प्री-1) तैयार किया जाना तथा जीप क. एमपी-48-डी-0011 का नुकसानी पंचनामा (प्रदर्श प्री-2) तैयार किया जाना तथा अभियुक्त श्रावण एवं करण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श प्री-3 एवं प्रदर्श पी-4 तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उन पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं।

16 साक्षी अजाबराव (अ.सा.-11) ने यह बताया है कि अभियुक्त श्रावण और करण ने चैकिंग नहीं करने दिया था परंतु उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा

क. 6 में यह बताया है कि गांव में बहुत भीड़ थी और भीड़ ने बिजली की जांच करने नहीं दी थी। पैरा क. 7 में साक्षी ने यह सही होना बताया है कि थाने में रिपोर्ट करते समय उसने यह बताया था कि मौके पर गांव के जो लोग इकट्ठा हो गये थे उन लोगों ने जांच नहीं करने दिया था तथा पैरा क. 7 में ही यह सही होना बताया है कि अभियुक्तगण का नाम नहीं बताया गया था। उक्त साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है। साथ ही उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन अन्य साक्षियों के कथनों से नहीं हुआ है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने विपरीत कथन किये हैं। ऐसी स्थिति में एकमात्र इस साक्षी के कथनों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त श्रावण और करण ने विद्युत चैकिंग नहीं करने दिया था।

17 अभियोजन कथा अनुसार फरियादी संजय पेंडोरे (अ.सा.-1) के द्वारा लिखित आवेदन (प्रदर्श प्री-10) दिये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्तगण के विरुद्ध लेख की गयी है। लिखित आवेदन (प्रदर्श प्री-10) के अवलोकन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त श्रावण एवं करण ने विद्युत विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों को घाने के संयोजन चैक किये जाने के शासकीय कार्य के निष्पादन से उन्हें निवारित किया। लिखित आवेदन (प्रदर्श प्री-10) के अनुसार विद्युत विभाग के अधिकारी ग्राम माहौली में अभियुक्त श्रावण के घाने का संयोजन चैक कर रहे थे तभी वहां अन्य ग्राम के लोग एकत्रित हो गये और चिल्ला चिल्ला कर हाथ में डंडे और ईंट लेकर धमकी देते हुए यह यह रहे थे कि यहां से चले जाओ चैक नहीं करने देंगे गाड़ी सहित आग लगा देंगे। इस प्रकार लिखित आवेदन (प्रदर्श प्री-10) जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है उस आवेदन से ही यह दर्शित नहीं हो रहा है कि अभियुक्त श्रावण एवं करण ने विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा ग्राम माहौली में उनके घाने का संयोजन चैक करते समय विद्युत विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी जो कि लोक सेवक हैं, उनके कार्य में बाधा उत्पन्न की। स्वयं साक्षी संजय पेंडोरे (अ.सा.-1), एफ.जे. खान (अ.सा.-3), आर.के. चतुर्वेदी (अ. सा.-13) के कथनों से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि उनके द्वारा घाने का संयोजन चैक किये जाते समय अभियुक्त श्रावण एवं करण के द्वारा उनके कर्तव्य के निष्पादन में बाधा उत्पन्न कर उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन से निवारित किया गया तथा हाथ में डंडा लेकर एवं पथराव कर विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उनके शासकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 353 भा.दं.सं. के अधीन अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

### **विचारणीय प्रश्न क. 05 का निराकरण**

18 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना

दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी संजय पेंडोर कार्यपालन यंत्री विद्युत मंडल तथा उनके सहयोगी कर्मी ए.जे. खान, आर.के. दुबे तथा इंदरसिंह राठौर जो कि विद्युत मंडल के कार्य विद्युत चैकिंग का निष्पादन कर रहे थे को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित की जिससे उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ एवं प्रार्थी संजय तथा उनके सहकर्मी को विद्युत मंडल का कार्य विद्युत चैकिंग निष्पादन करने में ईंट व डंडे लेकर जान से मारने की धमकी देकर वाहन के कांच तोड़कर आपराधिक बल व हमला का प्रयोग कर भयोपरांत कारित किया एवं प्रार्थी संजय तथा सहकर्मी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया तथा विद्युत मंडल के वाहन जीप क. एमपी-48-डी-0011 का कांच तोड़कर करीब 800/- रुपये की रिष्टी कारित कर क्षति कारित की। फलतः अभियुक्तगण श्रावण एवं करण को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 353, 506, 427 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

19 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)